

मुन्तकिली प्रकरण सं० 49/2016 अनवानी 1-जसवंतसिंह 2-प्राणसिंह
3-साहबसिंह 4-सतविन्द सिंह पि० अजीतसिंह जाति जटसिख निवासीगण 13
एफ बड़ा गुरु की ढाणी तहसील श्रीगंगानगर बनाम दर्शन सिंह पुत्र पालासिंह
जाति जटसिख नि० 13 एफ बड़ा तह० श्रीगंगानगर 2-भाग सिंह 3-नानूराम
4-उपजिलाधीश श्रीगंगानगर

11.02.2017

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थी के अभिभाषक श्री सुरेन्द्रपाल सिंह खुराना उपस्थित है। अप्रार्थी दर्शन सिंह के अभिभाषक श्री हंसराज तनेजा उपस्थित है। दोनो पक्षों के अभिभाषकगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर में लम्बित प्रकरण संख्या 154/2015 अनवानी दर्शन सिंह बनाम भाग सिंह धारा 251(ए) आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज० काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा० पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थीगण के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नहीं है।

मैंने दोनो पक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर में लम्बित प्रकरण संख्या 154/2015 अनवानी दर्शन सिंह बनाम भाग सिंह धारा 251(ए) आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज० काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये हैं। इसलिए अब यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन हो गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नहीं है। अतः मुन्तकिली प्रा० पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

432
21/02/17